542

फैक्स / महत्वपूर्ण

संख्या : / /XIV-2/2016/7(1)/2013

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, काशीपुर,
जनपद उधमसिंह नगर।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 29 मार्च, 2016

विषय :– पेराई सत्र 2014–15 के गन्ना विकास कमीशन के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या : 1323 / ख–कय अनुभाग / स0क0 / 2014–15 दिनांक 10 अगस्त, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेराई सत्र 2014–15 के लिए केवल एक बार की व्यवस्था के रूप में चीनी मिलों द्वारा गन्ना कय के सापेक्ष देय कमीशन में पूर्ण छूट प्रदान करते हुए सम्बन्धित गन्ना विकास समितियों आदि को कमीशन के सापेक्ष देय धनराशि राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में स्वीकृत / निर्गत किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया था, जिसके कम में चीनी मिलों द्वारा देय कमीशन में पूर्ण छूट प्रदान किये जाने हेतु अधिसूचना संख्या : 04 XIV-2/2015, दिनांक 03 जनवरी, 2015 निर्गत की गयी थी। उक्त के कम में गन्ना पेराई सत्र 2014–15 में चीनी मिलों द्वारा गन्ना कय के सापेक्ष देय कमीशन में छूट की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु प्रथम अनुपूरक मांग की धनराशि के सापेक्ष श्री राज्यपाल वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू0 15,81,00,000.00 (रू0 पन्द्रह करोड़ इक्यासी लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन नियमानुसार भुगतान करने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) गन्ना एवं चीनी आयुक्त वर्ष 2016–17 में गन्ना समिति में कार्यरत सरप्लस स्टाफ को 20 प्रतिशत तक कम किये जाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें।

(ii) गन्ना एवं चीनी आयुक्त गन्ना विकास कमीशन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निहित व्यवस्था के अनुसार रू0 2.00 प्रतिकुन्टल की दर से निर्धारण हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें।

(iii) प्रशासकीय विभाग गन्ना सोसाईटियों की संख्या को भी कम करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

3. चीनी उद्योग को वित्तीय रूप से सुदृढ़ व सक्षम बनाने हेतु गन्ना प्रजातियों में बदलाव, गन्ना बीज व्यवस्था, चीनी मिलों के आधुनिकीकरण, विभिन्न सहउत्पाद किया कलाप (यथा कोजनरेशन, वाइनरी आदि) एवं विभिन्न पहलुओं / बिन्दुओं का शीघ्र सम्यक परीक्षण कर यथावश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही यथाप्रकिया आरम्भ की जाय।

4. राज्य के किसानों से गन्ना विकास समितियों के माध्यम से कय किये गये गन्ने के सापेक्ष प्रचलित नियमों के अधीन नियमानुसार देय कमीशन का भुगतान कार्मिकों के अवशेष वेतन हेतु किया जायेगा और इस समबन्ध में सम्बन्धित गन्ना विकास समितियों तथा आपके स्तर पर इसका पूर्ण लेखा जोखा व रिकार्ड रखा जायेगा।

5. नियमानुसार देय कमीशन के सम्बन्ध में सम्बन्धित चीनी मिलों व गन्ना विकास समितियों से प्रमाणित सूचनायें/अभिलेख प्राप्त कर कमीशन के रूप में भुगतान योग्य धनराशि का आंकलन व पुष्टि कर धनराशि का आहरण गन्ना आयुक्त द्वारा किया जायेगा एवं सम्बन्धित गन्ना विकास समिति/गन्ना विकास परिषद को धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-17 के लेखा शीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 108-वाणिज्यिक फसलें 10-गन्ना क्रय के सापेक्ष देय कमीशन की प्रतिपूर्ति-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या-196(P)/XXVII-4/2016, दिनांक 29.03.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

संख्या : 318 /XIV-2/2016/7(1)/2013 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : -

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, काशीपुर/उधमसिंह नगर।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-4/बजट निदेशालय/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मा0 गन्ना मंत्री को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6. सहायक गन्ना आयुक्त, काशीपुर जनपद उधमसिंह नगर।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

Cane Letter